बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–58/2024(स्वा0)....................................... पटना, दिनांकः–....................................

डॉ0 रौनक जमिल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना के विरूद्ध दिनांक–08.06.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे विभागीय संकल्प सं0–691(9) दिनांक–30.06.2023 एवं संशोधित संकल्प सं0–920(9) दिनांक–04.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे डॉ0 अंसारी के विरूद्ध दिनांक–08.06.2022 से 17.11.2022 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित किया गया है।

3. विभागीय पत्राक–686(9) दिनांक–08.08.2024 द्वारा डॉ0 अंसारी से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। उनके द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे स्वयं के पेट एंव लीवर रोग से पीडित होने के कारण एवं उनके पिता जी के ह्दय रोग से गंभीर रूप से पीडित होने के कारण कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सके। डा0 अंसारी दिनांक–18.11.2022 से कर्त्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहें हैं।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 अंसारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं उनके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि वे पारिवारिक परिस्थितियो के कारण दिनांक–08.06.2022 से 17.11.2022 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहें है। उन्हें कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के उपरान्त दिसम्बर 2022 से वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है। डॉ0 असारी के विरूद्ध दिनांक–08.06.2022 से 17.11.2022 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्य नही तो वेतन नहीं का सिद्धात मानने एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. डॉ0 रौनक जमिल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना के विरूद्ध अनुपस्थित अवधि दिनांक–08.06.2022 से 17.11.2022 तक कार्य नही तो वेतन नहीं के साथ सचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित की जाती है।

6. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–58/2024(स्वा0)....1407(9).... **पटना, दिनांकः–**....31.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 रौनक जमिल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.12.2024
सरकार के अवर सचिव।

31.1.25